

79

निगरानी प्र.क्र. /2018-19

प्रस्तुती दिनांक - 25/05/2018

माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर केम्प, इन्दौर के समक्ष

निगरानी-3984/2018/बडवानी/भू.श

रमेश पिता नंदलाल महाजन

आयु - लगभग 70 वर्ष, धंधा - कृषि

निवासी - बलवाडी, तहसील सेंधवा

जिला बडवानी (म.प्र.)

- निगरानीकर्ता

विरुद्ध

अध्यालय जयपुर इन्दौर संभाग इन्दौर

श्री पं. मनोज 22/12/18

प्रार्थी (अभिभाषक द्वारा दिनांक 25-05-18

को प्रस्तुत।

अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

- 1- कन्या उर्फ कन्हैया पिता छुनका बारेला
आयु - 60 वर्ष लगभग, धंधा - कृषि
निवासी - ग्राम चिखली, तहसील सेंधवा जि. बडवानी
- 2- छगन पिता छुनका बारेला
आयु - 58 वर्ष लगभग, धंधा - कृषि
निवासी - ग्राम चिखली, तहसील सेंधवा जि. बडवानी
- 3- जगन पिता छुनका बारेला
आयु - 55 वर्ष लगभग, धंधा - कृषि
निवासी - ग्राम चिखली, तहसील सेंधवा जि. बडवानी
- 4- गोविन्द पिता नंदलाल कोठारी
आयु - 68 वर्ष लगभग, धंधा - व्यापार
निवासी - ग्राम बलवाडी, तहसील सेंधवा जि. बडवानी
- 5- गोपाल पिता नंदलाल महाजन
आयु - 60 वर्ष लगभग, धंधा - व्यापार
निवासी - ग्राम बलवाडी, तहसील सेंधवा जि. बडवानी
- 6- गनदास पिता बेरसिंग बारेला
आयु - 75 वर्ष लगभग, धंधा - कृषि
निवासी - ग्राम चिखली, तहसील सेंधवा जि. बडवानी
- 7- फुगा पिता बेरसिंग बारेला मृत तर्फ वारिस :-
 1. कारीबाई पति फुगा
आयु - 61 वर्ष लगभग, धंधा - कृषि
निवासी - ग्राम चिखली, तहसील वरला जिला बडवानी
 2. छबीबाई पति मुरली (पुत्री फुगा)
आयु - 32 वर्ष लगभग, धंधा - कृषि
निवासी - ग्राम चिखली, तहसील वरला जिला बडवानी

- प्रत्यर्थागण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
25/5/18

-- 2 --

महोदय,

प्रार्थी का सविनय निवेदन है कि :-



श्रीमान अपर आयुक्त महोदय, (राजस्व) इन्दौर संभाग इन्दौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 1/निगरानी/2014-15 में पारित आदेश दि. 16.04.2018 से व्यथित होकर यह निगरानी याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष सादर प्रस्तुत है।



राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3984/2018/बडवानी/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-1-2019	<p>आवेदक की ओर से श्री मनोज ब्यास, अभिभाषक उपस्थित । उनके द्वारा प्रकरण आगे नहीं चलाने का अनुरोध किया गया । अतः प्रकरण आवेदक अभिभाषक के निवेदन पर समाप्त किया जाता है ।</p> <p> सि.र.</p>	<p> अध्यक्ष</p>